


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022023-243599
CG-DL-E-14022023-243599

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]
No. 78]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2023/माघ 25, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2023/MAGHA 25, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 95(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962, परिसिस्ट II में, आई. टी. आर. 7 के लिये, निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप आ.क.वि- 7	भारतीय आयकर विवरणी [उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे केवल धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है] (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए) (कृपया मार्गदर्शन के लिए अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
		2	0	2	3	-	2

भाग क-साधारण

व्यक्तिगत सूचना

(क1)नाम (सृजन/स्थापन/निगमन/विरचना संबंधी विलेख में यथार्णित)		(क2)स्थायी लेखा संख्यांक					
(क4)प्लेट/द्वार/ब्लाक सं0	(क5)परिसर/भवन/ग्राम का नाम		(क3)विरचना/निगमन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)				
(क6)सड़क /मार्ग/डाक घर	(क7)क्षेत्र/अवस्थान		(क11) प्रास्थिति (निदेश पैरा 11ख देखें)	<input type="checkbox"/>	(क12) उपप्रास्थिति (निदेश पैरा 11ख देखें)	<input type="checkbox"/>	
(क8)नगर/शहर/जिला	(क9)राज्य	(क10)पिन कोड /जिप कोड		(क15)ई मेल पता 1			
(क13)कार्यालय का दूरभान संख्या एसटीडी कोड सहित/ मोबाइल सं.		(क14)फैक्स सं. / मोबाइल सं.2		(क15)ई मेल पता 2			
(क17)(i) विवरणी प्रस्तुत की गई धारा <input type="checkbox"/> 139(4क) <input type="checkbox"/> 139(4ख) <input type="checkbox"/> 139(4ग) <input type="checkbox"/> 139(4घ) <input type="checkbox"/> अन्य							
(ii) धारा जिसके अधीन छूट का दावा किया गया है, कृपया वर्णन करें (ड्रापडाउन दें)							
(क18) क्या निर्धारित द्वारा कोई परियोजना/संस्था चलाई जा रही है? (हां/नहीं) यदि हां तो कृपया ब्यौरे दें: आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे							
क्रम सं.	परियोजना/संस्था का नाम (पैरा 11गक के अनुदेश देखें)	क्रियाकलाप की प्रकृति (अनुदेश पैरा 11घ देखें)	वर्गीकरण (अनुदेश पैरा 11घ देखें)				
1							
2							
3							
4							
(क19)आयकर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (आज्ञापक हैं, यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित हों) (जब निर्यात पंजीकरण/अनुमोदन स्वीकृत हो चुका है तो अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन का विवरण अनिवार्य नहीं है)							
क्रम सं.	धारा जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत/ अनंतिम पंजीकृत या अनुमोदित/ अधिसूचित किया गया है	रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/ वृत्तिक रजिस्ट्रीकरण सं. (यू.आर.एन)	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	तिथि जिससे पंजीकरण /अनंतिम पंजीकरण / अनुमोदन प्रभावी है		
1							
2							
3							
4							
(क20) आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरणया अनुमोदन के ब्यौरे (विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम, 2010 नीति आयोग के दर्पण पर पंजीकरण तथा सेबी के साथ पंजीकरण)							
क्रम सं.	जिस पार्टल पर पंजीकृत है वह विधि अधीन	'किसी अन्य विधि' के मामले में विवरण दें	रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्रीकरण सं.	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	तिथि जिससे पंजीकरण प्रभावी है।	
1							
2							
3							
4							

फाइल करने की प्रास्थिति	(क21) (का)	धारा के अधीन फाईल(चिह्ननाकित करें) [कृपया अनुदेश देखें]	□ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व □ 139(4)- देय तारीख के पश्चात्, □ 139(5)- पुनरीक्षित विवरणी, □ 92गघ-उपांतरित विवरणी, □ 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्											
	(काii)	या धारा के अधीन सूचना के प्रतिउत्तर में फाइल किया गया	□ 139(9), □ 142(1), □ 148, □ 153ग											
ख)	यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी करने की पावती संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)												_ / _ / _	
(ग)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई तो यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत भरी गई तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।										(यूनिक संख्या)	/ /		
(घ)	आवासीय प्रास्थिति ? (निशान लगाएं) □ निवासी □ अनिवासी													
(ङ)	क्या कोई आय किसी ऐसी कुल आय में सम्मिलित की गई है जिसके लिए धारा 90/90क/91 के अधीन दावा किया गया है ? □ हां □ नहीं (निवासी के मामले में लागू होता है) [यदि हां, तो अनुसूची एफएसआई और अनुसूची टीआर भरना सुनिश्चित करें]													
(च)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की गई है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां □ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें--													
	(1)	प्रतिनिधि का नाम												
	(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)												
	(3)	प्रतिनिधि का पता												
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पेन)/ आधार सं.												
(छ)	क्या आप किसी फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां □ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें													
	फर्म का नाम						स्थायी खाता संख्यां							
(ख22) (ज)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय आसूचीबद्ध साधारण शेयर धारित किए हैं (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां □ नहीं यदि हां तो कृपया साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंत अतिशेष		
				शेयरों की सं.	अर्जन की लागत	शेयरों की सं.	अभिदाय/क्रय की तारीख	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गमन मूल्य (नए निर्गमन की दशा में)	प्रतिशेयर क्रय मूल्य (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की सं.	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की सं.	अर्जन की लागत
	1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(क23)	i	क्या आपके द्वारा चलाए जा रही किसी परियोजना/संस्था पूर्व प्रयोजनों में से एक प्रयोजन साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की अभिवृद्धि करने का है यदि हां, तो												
	क	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप है ?									□ हां □ नहीं		
		ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्त का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्तियां									%		
	ख	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में यथानिर्दिष्ट किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप है ?									□ हां □ नहीं		
		ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्त का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्तियां									%		
	ii	यदि 'क' अथवा 'ख' हां है तो ऐसी संस्था के संबंध में क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियां												
	क्र.	प्रयोजन/संस्था का नाम						ऐसे क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियों की राशि						
	क													

अन्य ब्यौरे

ग	उन व्यक्तियों का नाम जिसने धारा 13(3)(ख) के अनुसार गत वर्ष के दौरान ट्रस्ट (न्यास)/ संस्थान में पर्याप्त योगदान किया है।				
क्रम सं.	नाम व पता	पैन	आधार सं./ नामांकन आई डी (यदि उपलब्ध है)		
घ	किसी अन्य समय पर गत वर्ष के दौरान लेखकों, संस्थापकों, ट्रस्टी, प्रबंधकों के संबंधियों के नाम तथा पर्याप्त योगदानकर्ताओं एवं जब ऐसे लेखक, संस्थापक, ट्रस्टी, प्रबंधक या पर्याप्त योगदानकर्ताओं एवं जब ऐसे लेखक, संस्थापक, ट्रस्टी, प्रबंधक या पर्याप्त योगदानकर्ता हिंदू अविभक्त कुटुंब हैं, उनके परिवार के सदस्यों के नाम तथा संबंधियों का विवरण				
क्रम सं.	नाम व पता	पैन	आधार सं./ नामांकन आई डी		

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची 3														
धारा 11(2) के अर्थात्गत या धारा 10(23ग)/10(21) धारा 35(1) के साथ पठित के तीसरे परंतुक के निबंधनानुसार संचित/पृथक् के ब्याँरे														
संचयन-1 का वर्ष (वित्तीय वर्ष)	संचयन-1 के वर्ष में संचित रकम	संचयन का प्रयोजन	पूर्ववर्ती वर्ष की शुरुआत तक पूर्व/रकम धार्मिक प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त राशि	शेष	अन्य पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में कर राशि	आवेदन हेतु उपलब्ध शेष	संचयन पूर्ववर्ती वर्षों के अलावा गत वर्षों के दौरान परोपकारी धार्मिक प्रयोजनार्थ अनुपयुक्त राशि	अनुपयुक्त राशि प्रयोजनार्थ के अलावा जिसके लिए ऐसा संचयन किया गया (यदि लागू हो)	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv)/ (v)/ (vi)/ (vिक) के अधीन अनुमोदित किसी न्यास या संस्थान को भुगतान या दी गई राशि	आवेदन हेतु उपलब्ध शेष राशि	धारा 11(5) 11 में विनिर्दिष्ट रीति में निवेशित या जमा राशि	धारा 11(5) 11 के बाहर (यदि प्रयोज्य हो) में विनिर्दिष्ट रीति के अलावा निवेशित या जमा राशि	संचयन की अवधि में राशि का उपयोग नहीं हुआ (यदि उपलब्ध हो)	(राशि जिसे आय माना गया) धारा 11 की आय के भीतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2-4)	(6)	(7) = (5-6)	(8)	(9)	(10)	(11) = 7-8-9-10	(12)	(13)	(14)	(15) = 9+10+13+14
2016-17														
2017-18														
2018-19														
2019-20														
2020-21														
2021-22														
2022-23														
योग														

अनुसूची आई.ए							
धारा 11(3) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों में कर संचित आय का विवरण							
वि. व	नि. व.	निर्धारण वर्ष जिसमें अनुसूची आई के स्तंभ 6 में संदर्भित राशि पर कर लगाया गया था (रु अंकों में)					
संचयन वर्ष (वित्त वर्ष)		2018-19 (क)	2019-20 (ख)	2020-21 (ग)	2021-22 (घ)	2022-23 (ङ)	कुल (च) (क+ख+ग+घ+ङ)
2016-17							
2017-18							
2018-19							
2019-20							
2020-21							

ii. 01.04.2021 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त (i) के अलावा										
iii. (i) एवं (ii) के अलावा										
योग										
अ 2 ऋण और उधार का विवरण										
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष (1)	वर्ष के दौरान उद्देश्यों की ओर आवेदनों के लिए लिया गया ऋण व उधार (2)	वर्ष के दौरान न्यास या संस्थान के वस्तुओं के लिए अनुप्रयुक्त (3)	वर्ष के दौरान ऋण या उधार की चुनौती की राशि (जो पहले प्रयुक्त तथा अनुप्रयुक्त के अनुसार अदावाकृत) (4)	वित्त वर्ष जिसमें (4) पहले अनुप्रयुक्त हुआ (5)	वर्ष के दौरान ऋण या उधार का कुल चुकोती (6)	31.03.2022 को समाप्त बकाया (7) (1+2-6=7)				

आ	धारा 11(5) के तहत 31.03.2023 को निवेशित/जमा कोष का विवरण						
क्र.सं.	निवेश से बाहर	धारा 11(5) के अनुसार विनिधान	विनिधान की तारीख	विनिधान की रकम			
i	धारा 80छ(2)(ख) के अधीन 01.04.2020 को या उसके बाद अधिसूचित स्थानों की मरम्मत या नवीनीकरण करने के लिए प्राप्त दान के प्रतिनिधित्व को कोष	झापडाउन दें (कृपया प्रकृति निर्दिष्ट करें)					
ii	01.04.2021 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त (i) के अलावा प्राप्त कोष						
iii	(i) एवं (ii) के अलावा						
iv	योग						
इ	उस (समुत्थानों) में, जिनमें धारा 13(3) धारा 10(23ग) के इक्कीसवें परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों का सारवान् हित है, पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान						
क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कंपनी है? (जो प्रयुक्त हो उसे <input checked="" type="checkbox"/> करें)	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ (6) में वर्णित रकम पूर्ववर्ष के दौरान समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
ii		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
iii		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
iv		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
v		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
vi		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	योग						
ई	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान						
क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कोई कंपनी है (जैसा लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	धारित शेयरों का वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	विनिधान का अभिहित मूल्य		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
i		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					
ii		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					
iii		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					
iv		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					
v	योग						
उ	ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तित नहीं किया गया है						
क्रम सं.	दाता का नाम और पता	अभिदाय/संदान का मूल्य	उद्देश्य के मद्दे लागू अभिदाय का मूल्य	धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम	धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशेष-1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		

i				
ii				
iii				
iv	योग			

भाग क-ख

31 मार्च, 2023 को समेकित संतुलन पत्र

निधियों का खोत	क	कोष खोत			
	1	कोष स्वामित्व			
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन को या उसके पश्चात् 01.04.2020 अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	1क		
	ख	01.04.2021 को या उसके पश्चात् अन्य प्राप्त कोष	1ख		
	ग	(क) एवं (ख)के अलावा प्राप्त कोष	1ग		
	घ	धारा 10 या धारा 11(2) के खंड (23ग) के तिसरे परंतुक के अधीन संचित आय	1घ		
	ङ	डीम्ड आय की शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों में छूट का दावा डीम्ड आवेदन के कारण तथा अनिवार्य आवेदन के कारण वित्त वर्ष 2023-24 से आगे आवेदित	1ङ		
	च	कोई अन्य आरक्षित (प्रकृति निर्दिष्ट करें)			
		i प्रकृति निर्दिष्ट करें	i		
		ii प्रकृति निर्दिष्ट करें	i		
		iii कुल (का + काii.)	1चiii		
	छ	कुल कोष (क+ ख+ग+घ+ङ+च)	1छ		
	2	ऋण व उधार			
	क	सुरक्षित ऋण	क		
	ख	असुरक्षित ऋण(जमा सहित)	ख		
	ग	कुल ऋण कोष (क+ ख)	2ग		
	3	अग्रिम	3		
	4	कोष खोत (1च+ 2ग +3)	4		
	निधियों का खोत	ख	निधियों का अनुप्रयोग		
1		अचल आस्तियां			
क		सकल अचल आस्तियां	1क		
ख		मूल्यहास	1ख		
ग		शुद्ध अचल आस्तियां (1क-1ख)	1ग		
2		निवेश	2		
3		वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
क		वर्तमान आस्तियां			
		i माल	i		
		ii विविध देनदार	ii		
		iii नकद व बैंक बैलेंस			
		क बैंक में बैलेंस	iiiक		
		ख पर्याप्त नकदी	iiiख		
		ग अन्य	iiiग		
		घ कुल नकद तथा नकद समकक्ष (iiiक + iiiख + iiiग)	iiiघ		
		iv अन्य वर्तमान आस्तियां	iv		
		v कुल अन्य आस्तियां (i +ii + iiiघ + iv)	कv		
ख		ऋण व अग्रिम	ख		
ग		कुल (कv + ख)	ग		
घ		वर्तमान देनदारी तथा प्रावधान			
	i वर्तमान देनदारी				
	क विविध लेनदार	क			
	ख अन्य लेनदार	ख			
	ग कुल (क + ख)	ग			
	ii प्रावधान	ii			
	iii कुल (ग + ii)	घiii			
ङ	शुद्ध वर्तमान आस्तियां(4ग - 4घiii)	3ङ			
4	संचित शेष/कोई अन्य रिजर्व (घाटा)	4			
5	कुल निधि या अनुप्रयोग (1+2+3+4ङ)	5			
6	5 के अलावा , धारा 11(5) के तहत विनिर्दिष्ट रीति में किया गया निवेश	6			
7	5 के अलावा , धारा 11(5) के तहत विनिर्दिष्ट रीति के अलावा किया गया निवेश	7			

अनुसूची आर		कोष के अनुसूची जे तथा बैलेंस का मिलान		
विवरण	01.04.2020 को या उसे पश्चात् धारा 80छ(2)(ख) में अधिसूचित स्थानों के नवीकरण अथवा मरम्मत हेतु प्राप्त संदान के लावा कोष	01.04.2021 को या उसके पश्चात् अन्य प्राप्त कोष	(क) तथा (ख) की अलावा कोष	
	(1)	(2)	(3)	
क. अनुसूची जे के अनुसार 31.03.2023 को समापन शेष				
ख. अंतर के कारण (+/-) (खi+खii+खiii)				
i) अचल परिसंपत्ति का क्रय				
ii) मूल्य अवक्षरण				
iii) कोई अन्य कारण (कृपया लिखें)				
ग. बैलेंस शीट क+ख के अनुसार 31.03.2023 को समापन शेष				

अनुसूची टक		राजनैतिक दल	
1	अ) क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के अधीन पंजीकृत है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
	क) यदि हां, कृपया पंजीकरण सं. दर्ज करें		
	ख) पंजीकरण तारीख/...../.....	
	आ) क्या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	क) यदि हां, तो मान्यता प्राप्ति की तिथि		
2	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ? जैसे लागू हों <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
3	क्या खातों की लेखा-परीक्षा की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें <input checked="" type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें :-		
	क) लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
	ख) लेखा परीक्षा रिपोर्ट हस्ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम		
	ग) लेखा परीक्षक की सदस्य संख्या		
	घ) लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व/फर्म)		
	ङ) स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.		
	च) लेखापरीक्षक की स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार सं. (स्वामित्व/फर्म)		
	छ) लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख		
4	क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें <input checked="" type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	यदि हां, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि (तिथि /माह/वर्ष)/...../.....	
5	क) क्या वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	ख) यदि हां तो 20 हजार रुपए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के रूप में अभिदायों से भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित है जिसने ऐसा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
6	क्या पाने वाले के खाते में देय बैंक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलेक्ट्रॉनिक बंधपत्र के माध्यम से अन्यथा दो हजार रुपए से अधिक कोई संदान प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> करें)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
7	कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:		
	क) वि.व. के दौरान पार्टी द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक कुल योगदान (ख + ग + घ)	7क	
	ख) वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक कुल योगदान 2000रु. से कम प्राप्त का कुल मूल्य	7ख	(खi+खii)
	i. नकद में	7खi	

	ii. नकद के अलावा अन्य मोड़	7खii	
ग	वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक अंशदान जो 2,000रु. से 20,000रु. के बीच प्राप्त हुआ का कुल मूल्य	7ग	
घ	वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक अंशदान जो 20,000रु. से अधिक प्राप्त हुआ का कुल मूल्य	7घ	

अनुसूची ईटी

निर्वाचक न्यास

निर्वाचक न्यास	1	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ?	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
	2	क्या प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे ? जैसा लागू हों(✓) का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
	3	क्या प्रत्येक ऐसे पात्र राजनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य अभिदायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार ✓ का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
	4	क्या धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार ✓ का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
		यदि हां तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____	
	5	क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है ? जैसे लागू हों ✓ का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
	6	प्राप्त ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यौरे		
	i	1 अप्रैल को आरंभिक अतिशे-1	i	
	ii	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वैच्छिक अभिदाय	ii	
	iii	योग (i+ii)	iii	
	iv	राजनैतिक दलों को वितरित रकम	iv	
	v	न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम (उपरोक्त क्रं सं. ii के 5% अथवा समावेशन के प्रथम वर्ष के लिए 5 लाख तथा बाद के वर्षों के लिए 3 लाख जो भी कम हो, तक सीमित)	v	
	vi	योग (iv+v)	vi	
	Vii	धारा 13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम (अनुसूची ईटी के क्रम सं. 6ii यदि 6iv में वितरित राशि 6iii के 95% है) (नियम 17गक के अनुसार)	Vii	
viii	31 मार्च को संवरण अतिशे-1	Viii		

अनुसूची वीसी

स्वैच्छिक अभिदाय (आई.टी.आर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए)

अ	घरेलू अंशदान (धारा 115खखग के तहत कर योग्य अज्ञात संदान के अलावा)			
i	समग्र संदान		आi	
क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	आंक		
ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस	आंख		
ii	समग्र संदान के अतिरिक्त		आii	
(क)	सरकार से प्राप्त अनुदान			
(ख)	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान			
(ग)	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान			
(घ)	अन्य संदान			
(ङ)	कुल		आiiङ	
iii	घरेलू स्वैच्छिक अभिदाय (आं + आiiङ)		आiii	
आ	विदेशी अभिदाय (धारा 115खखग के तहत कर योग्य अज्ञात संदान के अलावा)			
i	समग्र निधि संदान		आ i	
क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	आ iक		
ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस	आ iख		

	ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त	आ ii	
	iii	विदेशी अभिदाय (आ i + आii)	आ iii	
	iv	प्रयोजन निर्दिष्ट करें जिसके लिए विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया	आ iv	
इ		कुल अभिदाय (आiii + आii)	इ	
ई		अज्ञात दान, धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य [निर्धारिती पर लागू जो धारा 11 या 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग) (viक) या 10(23ग)(iiiकघ) या 10(23ग)(iiiकड) के अधीन छूट का दावा कर रहा है।		
	i	प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग	i	
	ii	क्रम सं. ग + घ i पर प्राप्त कुल संदान का 5% या 1,00,000 जो भी उच्चतम हो	ii	
	iii	धारा 115 खखग के अधीन 30% (i – ii) की दर से प्रभार्य अनाम अभिदाय	iii	

अनुसूची एआई ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करके पूर्व के दौरान व्युत्पन्न कुल आय [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(viक)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]

आय का कुल जोड़	1	मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां	1	
	2	अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां	2	
	3	किराया	3	
	4	कमीशन	4	
	5	लाभांश आय	5	
	6	ब्याज आय	6	
	7	कृषि आय	7	
	8	पूंजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल	8	
	9	कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
			प्रकृति	रकम
	क	आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)	क	
	ख		ख	
	ग		ग	
	घ		घ	
	ड	कुल (9क +9ख +9ग+9घ)	ड	9ड
10	कुल (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9) (कृषि आय के अलावा)			10

अनुसूची-ए न्यास/संस्थानों के स्थिर वस्तुओं पर लागू राशि समस्त स्त्रोतों से पूर्व वर्ष के दौरान तालिका इ1 से इ7 में संदर्भित [निर्धारिती द्वारा धारा 11 या 12 या धारा 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग)(viक) के अधीन छूट का दावा के लिए दाखिल किया जाएगा]

अ	ट्रस्ट/संस्थान के व्यय का आवेदन	राजस्व	पूंजी	कुल
1	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान	1		
2	धार्मिक	2		
3	गरिबों के लिए अनुतोष	3		
4	शिक्षा	4		
5	योग	5		
6	चिकित्सा अनुतोष	6		
7	पर्यावरण संरक्षण	7		
8	समारकों आदि का संरक्षण	8		
9	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता	9		
10	आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता	10		
11	धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत	11		
	कुल (अ 1 से अ 11)	अ 12		
आ	ग2 से ग7 (ख 1 + ख 2 + ख 3 + ख 4+ ख 5+ ख 6+ ख 7+ ख 8) पर निधि के खेत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं टिप्पण : क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए	आ		
1	कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में	1		

2	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (vिक) के अधीन अनुमोदित कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में	2		
3	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (vिक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं हैं।	3		
4	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (vिक) के अधीन अनुमोदित न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान	4		
5	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया	5		
6	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।	6		
7	न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त	7		
8	किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए	8		
इ	पंक्ति क में पूंजी आवेदन तथा राजस्व जुटाने हेतु निधि का खोत	इ		
1	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ती/आय से व्युत्पन्न आय (कॉर्पस को छोड़कर)	1		
2	पूर्ववर्ती वर्षों में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक या धारा 11(2) के अधीन संचित आय	2		
3	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन अनुप्रयुक्त आय(केवल तभी लागू जब धारा 11 तथा 12 के अधीन छूट का दाव किया हो)	3		
4	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्ववर्ती की आय	4		
5	कॉर्पस	5		
6	उधार ली गई निधि	6		
7	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	7		
ई	पूर्व वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल राशि [अ 12-आ-इ 2-इ 3-इ 4-इ 5-इ 6-इ 7]	ई		
उ	'ई' के बाहर गत वर्ष के दौरान राशि जो वास्तव में भुगतान नहीं की गई।	उ		
ऊ	राशि जो वास्तव में गत वर्ष के दौरान भुगतान की गई जो अन्य पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित की गई थी किंतु पहले गत वर्ष में आय अनुप्रयोग के अनुसार दावा नहीं की गई	ऊ		
ए	आवेदन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि (ए = ई - उ + ऊ)	ए		

अनुसूची आई.ई-1		आय और व्यय विवरण (धारा 10(21), धारा 10(22ख), धारा 10(23ककक), धारा 10(23ख), धारा 10(23घ), धारा 10(23घक), धारा 10(23डग), धारा 10(23डघ), धारा 10(23डड), 10(23चख), धारा 10(29क), धारा 10(46), धारा 10(47) के अधीन
1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1
2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2
3	संचित आय	3

अनुसूची आई.ई-2		आय और व्यय विवरण (धारा 10(23क), धारा 10(24) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू)	
अ	1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1
	2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2
	3	संचित आय	3
आ	1	क्या आपकी कोई ऐसी आय है जो कराधेय है? यदि हां तो कृपया कराधेय के ब्यौरे उपलब्ध कराएं (चिह्निकित) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	क	गृह संपत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची एच.पी भरें)	1क <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	ख	कारबार या वृत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची बी.पी भरें)	1ख <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	ग	पूंजीलाभ से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची सी.जी भरें)	1ग <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	घ	अन्य स्रोत से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची ओ.एस भरें)	1घ <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

अनुसूची आई.ई-3		आय एवं व्यय विवरण [निर्धारिती के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iiiकख) या 10(23ग)(iiiकग)] के अधीन छूट का दावा कर रहा है (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें):
1	संस्था के उद्देश्य (झापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	किसी स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	
4	उपरोक्त क्रम सं.3 में से सरकारी अनुदान	
5	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
6	संचित अतिशेष	

अनुसूची आई.ई-4		आय एवं व्यय विवरण [निर्धारिती के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iiiकघ) या 10(23ग)(iiiड)] के अधीन छूट का दावा कर रहा है (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें):
1	संस्था के उद्देश्य (झापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	

2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	सकल वार्षिक प्राप्तियां	
4	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
5	संचित अतिशेष	

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए डापडाउन उपलब्ध किया जाए)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)						
	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता						
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता		
	I						
	II						
	/लगाव विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (यदि उपलब्ध हों)	किरायदार(रों) का पैन/टिन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया जाता है)		
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I				
	<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II				
	<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया						
	क	सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य					1क
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती					1ख
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर					1ग
	घ	योग (1ख + 1ग)					1घ
	ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)					1ङ
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)					1च	
छ	1च का 30%					1छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज					1ज	
झ	योग (1छ + 2ज)					1झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त बकाया/वसूलनीय किराया					1ञ	
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1ङ - 1ज + 1ञ)					1ट	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / ज़िप कोड		
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)							
संपत्ति में अंश की प्रतिशतता							
सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता			
I							
II							
/लगाव विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	किरायदार (रों) का पैन/टिन/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)			
<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I					
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II					
<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया							
क	सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)					2क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती					2ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर					2ग	
घ	योग (2ख + 2ग)					2घ	
ङ	वार्षिक वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)					2ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)					2च	
छ	1च का 30%					2छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज					2ज	
झ	योग (2छ + 2ज)					2झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त बकाया/वसूलनीय किराया					2ञ	

	ट गृह संपत्ति 2 से आय (2ख - 2ज + 2ज)	2ट
3	आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो *	3
4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1झ + 2झ + 3) (यदि नकारात्मक है तो अनुसूची सी.वाई.एल.ए का अंक 2झ लें)	4
टिप्पण ▶ किरायदार की स्थायी खाता संख्या/आधार सं. देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झख के अधीन कर की कटौती की गई है। किरायदार का टीएएन देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती की गई है।		

अनुसूची-पूँजी अभिलाम पूँजी अभिलाम

क	लघु अवधि पूँजी अभिलाम (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)									
लघु अवधि पूँजी अभिलाम	1	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	कां					
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii					
			iii	पूँजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (काii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़े को (का) के रूप में लें या अन्यथा (काii) के रूप में लें]	काiii					
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां							
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i					
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii					
			iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii					
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv					
		ग	तुलन काiii - ख iv							
		घ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)							
	ङ	रथावर संपत्ति पर लघु अवधि पूँजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)								
	च	अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्योरे दें (टिप्पण देखें)								
		क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैना/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य	
	टिप्पण ▶	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैना/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें								
	2	रुलम्प विक्री से								
		क	i	नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2काi					
			ii	नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2काii					
			iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (कां या कांii का अधिकतम)	2काiii					
		ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य							
		ग	रुलम्प की विक्री से लघु अवधि पूँजी अभिलाम (2काiii - 2 खे)							
	3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारवार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1) (ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत किया गया है								
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य							
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां							
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i					
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii					
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ग iii					
			iv	योग(i + ii + iii)	ख iv					
		ग	शे-1 (3 क - ख iv)							
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आरिस्ट को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आरिस्ट के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)							
		ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूँजी अभिलाम (एसटीटी संदत) (3 ङ +3 घ)							
	4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं हैं किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)								
		क	संबंधवारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत किया गया है							
		ख	संबंधवारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत नहीं किया गया है							
	5	अनिवासियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)								
		क	I प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्योरा दीजिए:-							
			क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	iक					
			ख	विहित सीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iख					
			ग	पूँजी अभिलाम के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	iग					
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	काii					
			iii	कुल (iग + ii)	क iii					
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां							
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i					

	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii							
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii							
	iv	योग (i + ii + iii)	ख iv							
	ग	शे-1 (5 क iii- ख iv)	5 ग							
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ							
	ङ	साम्या शेरर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)	क 5 ङ							
	6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से								
	क	i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेरर के अतिरिक्त कंपनी के शेरर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:- क कोटा नहीं किए जाने वाले शेरर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेररों का उचित बाजार मूल्य ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेररों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक) ii कोट न किए जाने वाले शेररों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य iii कुल (iग + ii)	iक iख iग कii क iii							
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां								
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय iv योग (i + ii + iii)	ख i ख ii ख iii ख iv							
ग	शे-1 (6 क iii - ख iv)	6 ग								
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ								
ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6)	6 ङ								
च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6 च								
छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ + 6 च)	क 6छ								
7	अल्पाकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं									
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि						
i	2019-20	54घ/54छ/54छक								
ख	धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
	धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 छ लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi+ ख)			क7						
8	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भर्ने) (क8क+ क8ख+क8ग)			क8						
क	15%की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8क								
ख	30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8ख								
ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8ग								
9	एसटीसीजी की रकम जो क4-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है:									
	क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. का से क8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या(9))
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
क	डीटीए के अधीन भारत एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									क9क
ख	डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम									क9ख
10	कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (क1 ङ+ क2 ग+ क3 ङ+ क4 क+ क4 ख+ क5 ङ+ क6 छ+ क7 + क 8 - क9क)									क 10
ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)									
दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भर्ने)								
	क	i प्राप्त/प्राप्त प्रतिफल का पूरा मूल्य	क i							
		ii स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	कii							
		पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य								
		iii यदि (का) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़े को (का) के रूप में ले या अन्यथा (काii) में	कiii							
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i								

	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii						
	iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii						
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv						
	ग	शीर्ष (क iii - ख iv)	1 ग						
	घ	धारा 54 घ / 54 ङ/54 छ / 54 जक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1 घ						
	ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)		ख 1 ड					
	च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें)							
	क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन / आधार नं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य	
	टिप्पण ▶	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/आधार नं. देना अनिवार्य है। एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें।							
2	स्लम्य बिक्री से								
	क	i	नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कi					
		ii	नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii					
		iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2कiii					
	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य			2 ख				
	ग	शे-न (2कiii - 2 ख)			2 ग				
	घ	धारा 54ड.ग के अंतर्गत कटौती			2 घ				
	ङ	स्लम्य के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (2 ग-2 घ)						ख 2 ड	
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)								
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			3क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां							
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i					
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii					
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii					
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv					
	ग	एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (3क - 3 ख iv)						ख 3 ग	
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनित से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है।								
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			4क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां							
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i					
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii					
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii					
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv					
	ग	पूर्ववक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (4क - 4 ख iv)						ख 4 ग	
5	किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास लिधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है								
	उपरोक्त ख5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाम								
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कम्पनी के शेयरों या डिबेंचरों का विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)								
	सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाम								
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनितों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विदिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तम्भ ख8 भरा जाएगा)								
	क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कम्पनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए:-						
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	i क					
		ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख					
		ग	पूंजी अभिलाम के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग					
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii					
		iii	कुल (i ग + ii)	क iii					
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां							
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i					
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii					
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii					
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv					
	ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाम (क iii - ख iv)						ख7ग	

8	अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जसि पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है		
	उपरोक्त ख8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ		ख8
9	आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं		
	क	i आस्तियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-	
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	i क
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii
		iii कुल (iग + ii)	क iii
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां	
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv
	ग	वर्ष (9 क iii - खiv)	7 ग
	घ	धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	7 घ
	ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)	ख 9 ङ
10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व व-वों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता रकमी में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं	
	क्रम सं.	पूर्व वॉ में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वॉ में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।
	i	2019-20	54घ/54छ/54छक
	ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि	
		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi+ख)	
11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भर्ने)(ख12क1+ख12क2 + ख12ख)		
	क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	ख11क1
	क2	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	ख11क2
	ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास थू आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभाय	ख 11ख
12	एलटीसीजी की रकम जो ख1- ख11 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार भारत में कर प्रभाय नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभाय है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)		
	क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है
	(1)	(2)	(3)
	I		
	II		
	क	डीटीएए के अधीन एलटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि	
	ख	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभाय एलटीसीजी की कुल राशि	
			ख12क
			ख12ख
13	कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8घ - ख9ङ + ख 10 + ख 11 - ख12क) (यदि क्षति हो तो ख13 को शून्य के रूप में लें)		
ग1	पूंजीगत अभिलाभ आय की राशि (नीचे दी कई तालिका ड के 9ii + 9iii + 9iv + 9v + 9vi + 9vii + 9viii)		
ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए की मद सं. ख)		
ग3	“पूंजीगत अभिलाभ” शीर्ष के तहत प्रभाय आय (ग1 + ग2)		
घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी		
	1	धारा 54घ / धारा 54ङग/ धारा 54छ/धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें।	
	क	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती	
		i	मूल अस्ति के अर्जन की तारीख
		ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत
		iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख
		iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि
		v	दावाकृत कटौती की राशि
		क i	दिन/मास/वर्ष
		क ii	
		क iii	दिन/मास/वर्ष
		क iv	
		क v	

इस सारणी में एस्टीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमशः संग्रहित एस्टीसीजी की वह रकम है जिसमें एस्टीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।
इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमशः संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।

अनुसूची बी.डी.ए						
धारा 115खखज आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय						
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	शीर्ष जिसके तहत आय पर कर लगाया जाना है (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत (उपहार के मामले में) (क) धारा 56(2)(ख) के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया जाना है (ख) किसी अन्य मामले में पिछले स्वामी की लागत।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आय (हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
पंक्ति सम्मिलित करें						
क. कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक कारबार आय की राशि)						(अनुसूची बी. पी की मद सं. 3घ)
ख. कुल (स्तंभ 7 में पूंजीगतलाभ की समस्त सकारात्मक आय राशि)						(अनुसूची सी जी की मद सं. ग2)

अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ड)	1	
क	लाभांश, सकल (का + काii)	1क	
	i धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय	काi	
	ii (i) के अलावा लाभांश आय	काii	
ख	व्याज, सकल (खा + खाii + खाiii + खाiv)	1ख	
	i बचत बैंक से	खा	
	ii निक्षेपों से (बैंक/डाकघर/सहकारी/ सोसाइटी/)	खाii	
	iii आयकर प्रतिदाय से	खाiii	
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खाiv	
	v अन्य	खv	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56 (2)(भ) में निर्दिष्ट में प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घा + घाii + घाiii + घाiv + घाv)	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का सकल मूल्य	घा	
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाii	
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाiii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाiv	
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाv	
ड	कोई अन्य आय (अलग प्रकृति)	1 ड	
	क्रं सं.	प्रकृति	राशि
		धारा 10 के खंडों के अधीन छूट की अस्वीकृति के कारण आय	
		यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं	
ड2	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ड	
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ड क्रं.सं. 1 से संबंधित तत्व)	2	
	क लॉटरी, वर्ग पहली आदि जीतने से हुई आय	2क	
	ख धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi)	2ख	
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खाi	

	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii								
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii								
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv								
	v	धारा 69घ के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv								
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi								
ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य (गि से गxiv का योग)							2ग			
	i	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य अनिवासी या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभंश	गi								
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त विदेशी करेंसी पर ब्याज	गii								
	iii	धारा 115क(1)(क)(iik) के अधीन प्रभार्य अवसरचनात्मक ऋण निधि	गiii								
	iv	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	गiv								
	v	धारा 115क(1)(क)(iikकक) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	गv								
	vi	धारा 115क(1)(क)(iikकख) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज	गvi								
	vii	संवितरित आय जो धारा 115क(1)(क)(iikग) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठक में निर्दिष्ट ब्याज है	गvii								
	viii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में क्रय की गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई की यूनियों या अन्य पारस्परिक आय	गviii								
	ix	धारा 115क(1)(ख) के अधीन प्रभार्य सरकारी या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस से आय	गix								
	x	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभंश पर आय	गx								
	xi	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभंश पर आय	गxi								
	xii	धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों के संबंध में (धारा 115कख में युनियों से भिन्न) किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय	गxii								
	xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य	गxiii								
	xiv	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	गxiv								
घ	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में पासथू आय (झापडाउन उपलब्ध किया जाए)							2 घ			
ङ	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम जो भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर प्रभार्य है (नीचे की सारणी के स्तंभ 2 का योग)							2 ङ			
	क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.1क, 1ख से 1घ, 2क, 2घ और 2घ जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (उन कटौतियों से भिन्न जो 2क, 2ख, 2ग, 2घ और 2ङ के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित हैं)										
	क	व्यय/ कटौतियां ("ग" में इंदराज के अलावा)							3क		
	ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध, यदि आय "अनुसूची ओएस" की 1ग में प्रस्तुत की गई)							3ख		
	ग	धारा 57(1) के अधीन लाभंश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज							3ग		
	गं	धारा 57(i) के अधीन योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि							3गं		
	घ	योग							3घ		
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम										

5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	5					
6	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (1 (डीटीएए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद) - 3 + 4 + 5) (यदि कुछ नहीं है तो अनुसूची सीवाईएलए का अंक 4i लें)	6					
7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)	7					
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय						
	क प्राप्तियां	8क					
	ख केवल 8क पर प्राप्तिओं के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ अतिशे-ग (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्टि करें)	8ङ					
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)	9					
10	अन्य स्रोतों से प्रोदभूत/प्राप्ति के बारे में जानकारी						
	क्र.सं	अन्य स्रोत से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल, द्युत, बाज़ी लगाने आदि से जीत के रूप में आय						
2	क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
3	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
4	धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय						
5	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
6	डीटीएए दरों पर प्रभार्य लाभांश आय 1क(i) के संबंध में						

अनुसूची ओए		साधारण	
	क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित ब्यारे प्रवि-ट करें)		
1	कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेश देखें)	1	
2	शाखाओं की संख्या <input type="text"/>	2	
3	पूर्ववर्ष में लेखांकन की पद्धति <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> व्यापारिक <input type="checkbox"/> नकद	3	
4	क्या लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां	4	
5	धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्ववर्ष में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव	5	
6	पूर्ववर्ष में लागू बंध स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	6	
क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>	

ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखे, यदि लागत पर है तो 2 लिखे, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखे)		
ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है, <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	6घ	

अनुसूची – कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

असट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति					
1	कर पूर्व लाभ आय और व्यय खाते के अनुसार कर से पूर्व लाभ (जैसा लागू हो)			1	
2क	1 में सम्मिलित असट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -चिह्न प्रविष्ट करें)	2क			
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -चिह्न प्रविष्ट करें)	2ख			
3	धारा 115खखज के तहत प्रभार्य अथवा आय के अन्य शीर्षों के तहत विचारणीय लाभ व हानि लेखा में जमा प्राप्तियां/आय	क	गृह संपत्ति	3क	
		ख	पूंजी अभिलाभ	3ख	
		ग	अन्य स्रोत	3ग	
		गि	लाभांश आय	3गि	
		गii	लाभांश आय के अलावा	3गii	
घ	धारा 115खखज (के तहत अधिग्रहण की शुद्ध लागत, यदि कोई हो)	3घ	(अनुसूची वी.डी.ए की मद सं. क)		
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कड.	4क			
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
	क	फार्म/ फार्मी से आय का अंश	5क		
	ख	ए.ओ.पी/बी.ओ.ए से आय के शेयर	5ख		
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			
	i		गi		
	ii		गii		
iii	कुल (गि + गii)	5गiii			
घ	कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गiii)	5घ			
6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3क - 3ख - 3ग - 3घ - 4 - 5घ)			6	
7	लाभ और हानि लेख में विकलित व्यय आय के अन्य शीर्षों के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा।	क	स्वामित्व संपत्ति	7क	
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख	
		ग	अन्य स्रोत	7ग	
8	कुल (7क + 7ख + 7ग)	8			
9	समायोजित लाभ या हानि (6+8)			9	
10	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण			10	
11	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण				
	i	धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण	11i		
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)	11ii		
	iii	कुल (11i + 11ii)	11iii		
12	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (9 + 10 - 11iii)			12	
13	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	13			
14	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	14			
15	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	15			
16	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	16			
17	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं	17			
18	सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	18			
19	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	19			
20	धारा 32कग/33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/ 72क के अधीन समझी गई आय	20			
21	धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	21			

कारबार या वृत्ति से आय

22	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	22		
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनज्ञेय नहीं है (फर्मा से जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)	23		
24	कुल (13+14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23)			24
25	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25		
26	धारा 32कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	26		
27	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (यदि धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 23 में जाएगी)	27		
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम	28		
29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम	29		
30	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	30		
31	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में वद्धत कमी और रटॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव	31		
32	कुल (25+26+27+28+29+30+31+32)			32
33	आय (12+24+33)			33
34	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -			
	i धारा 44कड	34i		
35	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (33 + 34)			35
36	नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं हैं तो 35 की वही रकम यथाप्रवि-ठ करे)			अ36
आसट्टे के कारबार से आय की संगणना				
37	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			37
38	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन			38
39	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां			39
40	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (37 + 38 + 39)			ख40
ई धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना				
41	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि			41
42	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार जोड़			42
43	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ (ii), 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)			43
44	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (41 + 42 + 43)			44
45	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां			45
46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (45 + 46)			इ46
47	धारा 34 अ.ई की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्रॉप डाउन मेन्सू से चयन करने के लिए)			इ47
ई	लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ36+आ40+ इ46)			ई
उ चालू वर्ष में कारबार हानि का अन्तः शीर्ष मुजरा				
क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
i	हानि का मुजरा (इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है)		(क36)	
ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख40)		
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग46)		
iv	कुल हानि मुजरा (ii + iii)			

अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	आय का शीर्ष/ स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		कुल हानि (अनुसूची-1) (गृह संपत्ति का 4)	कुल हानि (अनुसूची बी.पी के (मद 2v) के (मद 2v)	कुल हानि (अनुसूची-ओ.एस का 6)		
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
	समायोजित की जाने वाली हानि					
i	गृह संपत्ति					
ii	कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)					
iii	सट्टेबाजी से आय					
iv	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय					
v	15 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vi	30 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुप्रयुक्त दायों पर					
viii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
ix	10 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
x	20 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
xi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
xii	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (घुड़ दौड़ एवं लोटरी से जीत पर लाभ को छोड़कर)					
xiii	दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ					
xiv	मुजरा की गई कुल हानि					
xv	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

चालू वर्ष की हानि समायोजित

अनुसूची पीटीआई

धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश सत्ता	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवल आय/क्षति 9=7-8	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति								
				ii	पूँजी अभिलाभ								
				क	अल्पकालिक अवधि								
				का	धारा 111क								
				का	अन्य								
				ख	दीर्घकालिक अवधि								
				खा	धारा 112क								
				खा	112क से भिन्न धाराएं								
				iii	अन्य स्त्रोत								
				क	लाभांश								
				ख	अन्य								
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी								
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन								
				ख	धाराके अधीन								
				ग	धारा.....के अधीन								
				2.				i	गृह संपत्ति				
								ii	पूँजी अभिलाभ				
								क	अल्पकालिक अवधि				
								का	धारा 111क				
								का	अन्य				
ख	दीर्घकालिक अवधि												
खा	धारा 112क												
खा	112क से भिन्न धाराएं												
iii	अन्य स्त्रोत												
क	लाभांश												
ख	अन्य												

पास के माध्यम से आय

				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
				ख	धाराके अधीन				
				ग	धारा.....के अधीन				

टिप्पण इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें ।

अनुसूची एस.आई विशेष-1 दरों से प्रभाय आय (कृपया अनुदेश देखें)

क्र. सं.	धारा	<input checked="" type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111क (जहां एस.टी.टी संदत्त किया गया है वहां शेरों पर एस.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	15		
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30		
3	112 परंतुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10		
4	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10		
5	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10		
6	112 (अन्य पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	20		
7	112क (कारबार न्यास की साधार शयरोन्मुख निधि/ यूनिटों के साधारण शयरो/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी, जिस पर एस.टी.टी संदत्त किया जाता है)	<input type="checkbox"/>	10		
8	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसटीसीजी	<input type="checkbox"/>			
9	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एलटीसीजी	<input type="checkbox"/>			
10	धारा 115कग (अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बाण्डस या विदेशी करेन्सी में क्रय किया गये लाभांश से आय)	<input type="checkbox"/>	10		
11	धारा 115कग के अधीन प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर या बाण्डस के लाभांश पर आय	<input type="checkbox"/>	10		
12	115खख (लाटरी,पहेली, दौड़ों, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30		
13	115खखज आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर				
	i कारबार या वृत्ति से आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	ii पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
14	115 खखख (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	60		
15	विशेष दर पर कोई अन्य आय (ड्रापडाउन प्रदान किया जाना है)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)	
16	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय अन्य स्रोतों से आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस के 2ड का भाग)	
17	15% की दर पर प्रभाय अल्प कालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथू आय	<input type="checkbox"/>	15		
18	30 % की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पासथू आय	<input type="checkbox"/>	30		
19	10% की दर पर प्रभाय दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथू आय	<input type="checkbox"/>	10		
20	20% की दर पर प्रभाय दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथू आय	<input type="checkbox"/>	20		
21	धारा 112क से भिन्न 10% की दर से प्रभाय दीर्घवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	<input type="checkbox"/>	10		
22	विशेष दरों पर प्रभाय अन्य स्रोत से आय की प्रकृति में पासथू आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस का 2घ)	
			योग		

धारा 115नघ के अधीन अभिवर्धित आय [अनुप्रयोज्य यदि छूट का दावा धारा 11 तथा 12 निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा 10(23 ग (iv)/ 10(23 ग (v)/ 10(23 ग (vi)/ 10(23 ग (vिक)]

1	निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य	1	
2	घटाएं— निर्दिष्ट व्यक्ति का कुल दायित्व	2	
3	आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2)	3	
4	(i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य अर्जित प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की एफ.एम.वी	4i	
	(ii) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख/ अंतिम पंजीकरणके लिए सृजन या स्थापन की तारीख से अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफ.एम.वी और 12कख के अधीन दावा नहीं किया गया	4ii	
	(iii) धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार अंतरित आस्तियों का एफ.एम.वी	4iii	
	(iv) कुल (4i + 4ii + 4iii)	4iv	
5	उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की बाबत दायित्व	5	
6	धारा 115नघ [3-(4iv-5)] के अनुसार अभिवृद्धि आय	6	
7	अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर	7	
8	115नघ के अधीन संदेय ब्याज	8	
9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट ऋण	9	
10	अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज	10	
11	आय और संदत्त ब्याज	11	
12	संदाय/प्रत्यर्पण (10 - 11)	12	
13	अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख	तारीख 1 दिन/मास/वर्ष	तारीख 2 दिन/मास/वर्ष
14	बैंक और शाखा का नाम		
15	बीएसआर कोड		
16	चालान की क्रम संख्या		
17	जमा की गई रकम		

अनुसूची - खखख	धारा 115खखख के तहत कतिपय संस्थानों की निर्दिष्ट आय	
क्रम सं.	विवरण	राशि
1	धारा 10(23ग) अथवा धारा 11(3) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 4 में संदर्भित डीमड आय	1 < अनुसूची झ के स्तंभ 15 का कुल >
2	धारा 11(1ख) के तहत संदर्भित डीमड आय	2 < अनुसूची घ के स्तंभ 8 का कुल >
3	धारा 10(23ग) के इक्कीसवें परंतुक के तहत आय जिसे डीमड आय माना जाए अथवा जो कि धारा 13(1)(ग) के अनुसार कुल आय से निकाली जाए	3
4	आय जो धारा 10(23ग) के तहत, धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के उल्लंघन के कारण छूट प्राप्त नहीं है अथवा जो कि धारा 13(1)(घ) के अनुसार कुल आय से घटाई गई हो	4
5	11(1)(ग) के अनुसार कुल आय से नहीं घटाई गई आय	5
6	संचित आय अथवा आय से 15 प्रतिशत आधिक्य से पृथक करके जब ऐसा संचयन इस अधिनियम के निर्दिष्ट उपबंधों के तहत अनुमेय नहीं हो	6
7	कुल (कुल क्रम सं. 1 से 6)	7

अनुसूची- एफएसआई

भारत से बाहर होने वाली आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)

भारत से बाहर होने वाली आय	क्र.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख-टीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर कर संदेय	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड) (ग) या (घ) जो भी कम हो	यदि धारा 90 या 90क के अधीन राहत कर दावा किया गया है तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद
					(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
	1			i	गृह संपत्ती					
				ii	कारबार या वृत्ति					
				iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोतों						

			कुल					
2			i गृह संपत्ती					
			ii कारबार या वृत्ति					
			iii पूंजी अभिलाष					
			iv अन्य स्रोतों					
			कुल					
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें								

अनुसूची-टीआर भारत से बाहर संदत्त करों के लिए कर राहत की संक्षिप्त जानकारी (निवासी के मामले में उपलब्ध)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावाकृत चाहे गए कर राहत के ब्यौरे						
		देश का कोड	करदाता की पहचान सं०	भारत के बाहर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग	अनुसूची एफएसआई में घोषित आय पर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (घ) का योग	दावाकृत धारा के अधीन राहत (90,90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)		
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)		
				कुल				
	2	जहां डीटीए लागू होता है, उस देश के संबंध में उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)				2		
	3	जहां डीटीए लागू नहीं होता है, उस देश के संबंध में राहत (धारा 91) (1(घ))				3		
	4	क्या भारत के बाहर कोई कर संदत्त है, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात है, उसे विदेशी कर प्राधिकरण द्वारा इस वर्ग के दौरान प्रतिदाय/प्रत्यय किया गया है। यदि हां तो ब्यौरा नीचे दीजिए				4	हां/नहीं	
	क प्रतिदाय कर की रकम		ख निर्धारण वर्ष	जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात है				
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें								

अनुसूची वि.आ. भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	आ1	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)										
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	आ2	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
आ3	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											

(ii)												
ड	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम और कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।											
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरे जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
टिप्पण	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।											

अनुसूची एस.एच	असूचीबद्ध कंपनी की शेयर धृति											
यदि आप असूचीबद्ध कंपनी हैं तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें :-												
पूर्ववर्ष के अंत में शेयरधृति के ब्यौरे												
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	अर्जन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम				
पूर्ववर्ष के अंत में आबंटन लंबित रहते हुए साधारण शेयर आवेदन धनराशि के ब्यौरे												

शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	आवेदन की तारीख	आवेदित शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन की धनराशि	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गम कीमत			
शेयरधारकों के ब्यौरे जो पूर्ववर्ष के अंत में शेयर धारक नहीं हैं किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय शेयर धारक थे											
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम	अर्जन की तारीख	तारीख जिसको वह शेयरधारक नहीं रहता है	अस्तित्वहीन होने की रीति	अंतरण की दशा में शेयरधारक की स्थायी खाता संख्या

भाग - ख

भाग ख- कुल आय तारीख 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण

भाग ख1 - अनुप्रयोज्य यदि धारा 11 तथा 12 या 10 (23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/ 10(23ग)(vिक) के तहत छूट का दावा किया गया है तथा जब भाग ख3 अनुप्रयोज्य नहीं हो			
1	धारा 115खखग के तहत प्रभार्य कोष तथा अज्ञात संदान के अलावा स्वैच्छिक योगदान [अनुसूची वी.सी का (ग- की- खi)]	1	
2	धारा 115 खखग के तहत प्रभार्य कोष तथा अज्ञात संदान के अलावा स्वैच्छिक योगदान का भाग बन रहा है [अनुसूची भाग ख - कुल आय भाग ख / के (क + ख)] टिप्पणी: धारा 11 तथा 12 में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन होता है। यह क्षेत्र धारा 143(1) के तहत समायोजन हेतु विचारणीय होगा	2	
	क धारा 80ख(2)(ख) के तहत अधिसूचित [अनुसूची वी.सी का क + ख/क] स्थानों के नवीनीकरण एवं मरम्मत के लिए प्राप्त कॉर्पस प्रतिनिधित्व दान		
	ख उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस / अनुसूची वी.सी का क + ख/क		
3	उपरोक्त 1 में सम्मिलित ऐच्छिक अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान वियुत्पन्न धारा 11, धारा 12 और धारा 13(23ग)(iv), 10(23ग)(v) और 10(23ग)(vिक) में निर्दिष्ट कुल आय	3	
4	धारा 11(1)(ग) के तहत छूट योग्य राशि	4	
	क बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन संख्या		क
	ख बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि		ख
5	अनुप्रयोज्य आय (1+2+3-4)	5	
6	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग :-		
	i गत वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि (उधार निधि से अनुप्रयुक्त निकालकर, डीमड आवेदन, 15% इत्यादि तक पूर्ववर्ती वर्ष संचयन जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की आय से नहीं है। [अनुसूची क के तालिका की क्रम सं. छ]	6i	
	ii गत वर्ष के दौरान ऋण का पुर्नभुगतान - /अनुसूची जे की तालिका ए2 की क्रम सं. 4/	6ii	
	iii गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त राशि कॉर्पस निधि के निर्दिष्ट मोड में वापस निवेशित अथवा जमा (न्यास या संस्थान के वस्तुओं के लिए कोष अनुप्रयोग पर पहले अस्वीकृत) निवेशित और वापस जमा, एक या अधिक प्ररूप में या धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट मोड में ऐसे कॉर्पस के लिए विशिष्ट रूप से, उस वर्ष को आय से ऐसे निवेश या जमा की सीमा तक [अनुसूची जे की तालिका ए1 का क्रम सं. 4]	6iii	
	iv वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूची घ के स्तंभ 2 में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त डीमड राशि	6iv	
	क यदि उपर्युक्त (iv) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं.9क देने का विकल्प है	6ivक	
	ख यदि हां, प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	6ivख	
	v पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (1+3) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित]	6v	
	vi वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूची घ के स्तंभ 2 में उपर्युक्त iv में संदर्भित राशि के अतिरिक्त राशि-संचित या अलग हटा के, निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ -यदि धारा 11(2) व 11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक की सभी शर्तें पूरी की जाती है।	6vi	
	vii कुल [6i +6ii+6iii+6iiiक +6iv+6v+6vi]	6vii	
7	जोड़ें		
	i धारा 115खखग के तहत प्रभार्य आय < अनुसूची 115खखग के क्रम सं. 7 का कुल >	7i	

आय का विवरण

ii	धारा 11 के तहत आय के संबंध में छूट अज्ञात संदान होने के कारण उपलब्ध नहीं है। (अनुसूची वी.सी का घiii)	7ii	
iii	धारा 12(2) के अधीन प्रचार्य आय	7iii	
iv	धारा 11(1) के अधीन अनुनुजेय रकम अ.सा.प 40(क)(िक) या 10(23ग) अ.सा.प 40(क)(िक)	7iv	
v	धारा 11(1) के अधीन अनुनुजेय रकम अ.सा.प 40अ(3)/(3अ) या 10(23ग) अ.सा.प 40अ(3)/(3अ)	7v	
vi	धारा 11(1) धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	7vi	
vii	धारा 11(1) धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार	7vii	
viii	कुल [7i + 7ii+7iii + 7iii + 7iv + 7v + 7vi + 7vii]	7viii	
8	धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय	8	
9	धारा 11/10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(vi) के अधीन छूट के पश्चात् सकल आय [(5-6vii)+7viii+8]	9	
10	उपर्युक्त मद सं 9 का भाग नहीं बनने वाली आय		
i	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची जत का 4) (शून्य भरें यदि हानि)	10i	
ii	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची खत की मद सं घ48 के अनुसार)	10ii	
iii	शीर्ष अभिलाभ के अधीन आय		
क	अल्पकालिक	10iii	क
का	15% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9ii)	का	
काii	30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9iii)	काii	
काiii	दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9iv)	काiii	
काiv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vi)	काiv	
कv	कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	कv	
ख	दीर्घकालिक	10iii	ख
खा	10% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vi)	खा	
खाii	20% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vii)	खाii	
खाiii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9viii)	खाiii	
खाiv	कुल दीर्घकालिक (खा i + खा ii + खा iii) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	खाiv	
ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ राशि (10iii + 10iiiख) (कv + खाiv) (शून्य भरें यदि हानि हों)	10iii	ग
घ	धारा 115खख के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	10iii	घ
ङ	कुल पूंजी अभिलाभ (ग + घ)	10iii	ङ
iv	अन्य स्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 9 के अनुसार)	10iv	
v	कुल (10i + 10ii + 10iiiङ + 10iv)	10v	
11	सकल आय [9+10]	11	
12	चालू वर्ष में 12v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2ix, 3ix और 4ix का योग)	12	
13	कुल आय [11-12]	13	
14	ऐसी आय जिसे 13 में सम्मिलित किया गया और विशेष दरों पर कर से प्रभार्य है (अनुसूची एसआई 1क का योग)	14	
15	13 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खख के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा (अनुसूची वी.सी का घiii)	15	
16	प्रभार्य आय जिस पर धारा 115खख के तहत 30% की दर से 13 में सम्मिलित कर लगाया जाना है (अनुसूची 115 खख की क्रम सं 7)	16	

भाग ख 2- यदि धारा 13क/13ख तथा धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23ककक), 10(23ख), 10(23डग), 10(23डघ), 10(23डड), 10(29क), 10(23ग)(iii क ख), 10(23ग)(iii कग), 10(23ग)(iiiकघ), 10(23ग)(iiiकड), 10(23घ), 10(23घक), 10(23घख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट का दावा किया गया है।			
1	धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23ककक), 10(23ख), 10(23डग), 10(23डघ), 10(23डड), 10(29क) के अधीन छूट योग्य राशि	1	
2	धारा 10(23ग)(iii कख), 10(23ग)(iiiकग), 10(23ग)(iiiकघ), 10(23ग)(iiiकड), 10(23घ), 10(23घक), 10(23घख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट योग्य राशि	2	
3	धारा 11(3), धारा 10(21) के साथ पठित, के अधीन प्रभार्य आय [अनुसूची I के स्तंभ 15 का कुल योग]	3	
4	राजनैतिक दल के मामले में धारा 13क के अधीन छूट का दावे के साथ आय	4	
5	चुनावी ट्रस्ट के मामले में धारा 13ख के अधीन छूट के दावे के साथ आय वर्ष के दौरान स्वैच्छिक अंशदान (अनुसूची ई टी के मद सं. 6vii)	5	
6	वर्ष के दौरान स्वैच्छिक अंशदान	6	
7	आय शीर्ष		
i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एच पी का 4] (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	7i	
ii	व्यवसाय या पेशा से लाभ व अभिलाभ /अनुसूची बीपी के मद सं. 48 के अनुसार/	7ii	
iii	पूँजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय		
क	अल्पकालिक (अनुसूची पूँजी अभिलाभ का ए5)	7iiiक	
क i	अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9ii)	क i	
क ii	30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9iii)	क ii	
क iii	दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9iv)	क iii	
क iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9v)	क iv	
क v	कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	क v	
ख	दीर्घकालिक (अनुसूची पूँजी अभिलाभ का बी 4) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	7iiiख	
ख i	10% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9vi)	ख i	
ख ii	20%की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9vii)	ख ii	
खiii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9viii)	खiii	
ख iv	कुल दीर्घकालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	ख iv	
ग	कुल पूँजीगत लाभ (क v+ ख iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	7iiiग	
घ	धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूँजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	7 घ	
ड	कुल पूँजी अभिलाभ (ग + घ)	7 ड	
iv	अन्य स्रोतों से आय /अनुसूची ओ एस के मद संख्या 9 के अनुसार/	7iv	
v	कुल (7i + 7ii + 7iiiग + 7iv)	7v	
8	सकल आय [6+7v-4-5] +3	8	
9	8 के विरुद्ध वर्तमान वर्ष को हानि का समायेजन करना(अनुसूची सी वाई एल ए के 2ix, 3ix और 4ix का कुल योग)	9	
10	सकल कुल आय (8-9)	10	
11	(अनुसूची एस आई के स्तंभ (i) का कुल योग) 10 में शामिल आय तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य	11	
12	दर प्रयोजनार्थ शुद्ध कृषि आय	12	
13	कुल आय (10-11-12+13) [लागू यदि (10-11-12) कर प्रभार्य के लिए अधिकतम राशि ज्यादा हो]	13	
14	अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय	14	

भाग ख3- अनुप्रयोज्य यदि कुल आय धारा 10(23ग) या धारा 13(10) के बाइसर्वे परंतुक के तहत कर प्रभार्य		
1. जनरल के भाग क के क्रम सं.(26) यदि हां तो कारण का उल्लेख करें, क्यों धारा 10 या धारा 13 की उपधारा 10 के बाइसर्वे परंतुक के खंड (23ग) के उपबंध के प्रयोज्य है?		
(क)	धारा 2 के खंड (15) के परंतुक के उपबंध प्रयोज्य है।	हां/नहीं
(ख)	धारा 12क की उपधारा के खंड (क) के उपखंड (i)/10(23घ) के दसर्वे परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन किया गया है।	हां/नहीं
(ग)	धारा 12क की उपधारा के खंड (ख) के उपखंड (ii)/10(23घ) के दसर्वे परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन किया गया है।	हां/नहीं
(घ)	धारा 12क की उपधारा के खंड (खक)/10(23ग) के बीसर्वे परंतुक में निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन किया गया है।	हां/नहीं

II. जनरल के भाग क के क्रम सं. (26) यदि हां तो धारा 10 या धारा 13 की उपधारा 10 के खंड (23ग) के बाइसर्वे परंतुक के तहत प्रभार्य आय की संगणना करें।		
1	क्रम सं.7 के अलावा गत वर्ष के लिए कुल आय	रकम रु. में
2	निर्धारिती के सामान के लिए भारत में कुल व्यय किया गया	रकम रु. में
3	अनुज्ञात व्यय	
(i)	ट्रस्ट या संस्थान के नाम जमा कोष से व्यय वित्त वर्ष के अंत पर पूर्ववर्ती वर्ष प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसके लिए आय की संगणना की जा रही है।	रकम रु. में
(ii)	अन्य ऋण या उधार या व्यय	रकम रु. में
(iii)	परिसंपत्ति के संबंध में अवक्षयण, जिसका अधिग्रहण आय के आवेदन के रूप में दावा किया गया, उसी वर्ष या अन्य पूर्ववर्ती वर्ष ;तथा	रकम रु. में
(iv)	किसी व्यक्ति को संदान या योगदान के रूप में व्यय	रकम रु. में
(v)	पूँजीगत व्यय	रकम रु. में
(vi)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण के तहत अननुज्ञात राशि अथवा धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक), धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसर्वे परंतुक के साथ पठित स्पष्टीकरण	रकम रु. में
(vii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण के तहत अननुज्ञात राशि अथवा धारा 40 की उपधारा 3, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसर्वे परंतुक के साथ पठित स्पष्टीकरण	रकम रु. में
(viii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण के तहत अननुज्ञात राशि अथवा धारा 40 की उपधारा 3, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसर्वे परंतुक के साथ पठित स्पष्टीकरण	रकम रु. में
(ix)	कोई अन्य निषेध	रकम रु. में
(x)	कुल व्यय जिसे निषेध किया जाना है (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)	रकम रु. में
4	योग	
(i)	धारा 115खखझ के तहत प्रभार्य आय <अनुसूची 115खखझ के क्रम सं. 7 का कुल>	रकम रु. में
(ii)	धारा 11 के तहत आय अज्ञात संदान के कारण जिसके संबंध में छूट उपलब्ध नहीं है। (अनुसूची वी.सी का घiii)	रकम रु. में
(iii)	धारा 12(2) के तहत प्रभार्य आय	रकम रु. में
(iv)	धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	रकम रु. में
(v)	धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(23ग) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार आय	रकम रु. में
(vi)	कुल योग (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	रकम रु. में
5	धारा 11(4) के तहत प्रभार्य आय	रकम रु. में
6	कुल राशि [(1-2+3x)+4vi+5]	रकम रु. में
7	उपर्युक्त में मद सं. 6 का आय भाग नहीं है	
i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एचपी का 4] (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	रकम रु. में
ii	कारबार तथा वृत्ति का लाभ तथा अभिलाभ [अनुसूची बीपी के मद सं. घ48 के अनुसार/	रकम रु. में
iii	पूँजीगत अभिलाभ शीर्ष के तहत आय	
क	अल्पकालिक	
का	@ 15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9ii)	रकम रु. में
काii	@ 30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का)	रकम रु. में
काiii	अनुप्रयोज्य दर पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9iv)	रकम रु. में
काiv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9v)	रकम रु. में
कv	कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रु. में
ख	दीर्घकालिक	
खा	दीर्घकालिक @ 10% की दर से प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9vi)	रकम रु. में
खाii	@ 20% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9vii)	रकम रु. में
खाiii	डी.टी.ए.ए. के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9viii)	रकम रु. में
खाiv	कुल दीर्घकालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रु. में

	ग	अल्पकालिक/ दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ राशि (क v + ख iv) (यदि हानि हो, शून्य दर्ज करें)	रकम रु. में
	घ	धारा 115खखज के तहत @ 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)	रकम रु. में
	ड	कुल पूंजीगत अभिलाभ (ग + घ)	रकम रु. में
	iv	अन्य स्रोतों से आय /अनुसूची ओ.एस के मद सं. 9 के अनुसार/	रकम रु. में
	v	कुल (7i+7ii+7iiiड +7iv)	रकम रु. में
8	7v के विरुद्ध वर्तमान वर्ष की हानियां जो लगाई जानी है (अनुसूची सी.वाई.एल.ए के 2xiv, 3xiv और 4xiv का योग)		रकम रु. में
9	कुल आय (6+7-8)		रकम रु. में
10	आय जो 9 में सम्मिलित की गई तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य है (अनुसूची एस.आई के स्तंभ (i) का योग)		रकम रु. में
11	धारा 115खखग के तहत @ 30% के दर से अज्ञात संदान पर कर लगाया जाना है। (अनुसूची वी.सी का घiii)		रकम रु. में
12	धारा 115खखझ के तहत @ 30% की दर से 10 में शामिल प्रभार्य आय पर कर लगाया जाना है। (अनुसूची 115खखझ की क्रम सं. 9)		रकम रु. में
13	धारा 10 के खंड (23ग) के वाइसवें परंतुक अथवा धारा 13 की उपधारा(10) के तहत कर प्रभार्य आय (10-11-12-13)		रकम रु. में

भाग ख- कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर			
	क	सामान्य दरों पर कर [क्र. सं. (13-14-15-16) भाग ख- कुल आय के भाग ख 1 के] या [क्र. सं. (14-15) भाग- कुल आय के भाग ख 2 के] या [क्र. सं. 14, भाग ख- कुल आय के भाग ख 3 के]	1क	
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई का (ii) का योग)	1ख	
	ग	@ 30% की दर से धारा 115खखग के तहत अज्ञात संदान पर कर [क्र. सं. 15, भाग ख- कुल आय के भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 12, भाग ख- कुल आय के भाग ख 2 के] या [क्रम सं. 12, भाग ख- कुल आय के भाग ख 3 के]	1ग	
	घ	@ 30% की दर से 115खखझ के तहत प्रभार्य आय पर कर [क्रम सं. 16, भाग ख- कुल आय के भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 13, भाग ख- कुल आय के भाग ख 3 के]	1घ	
	ड	अधिकतम सीमांत दरों पर कर क्रम सं. 15, भाग ख- कुल आय के भाग ख 1 के	1ड	
	च	कृषि आय पर छूट / भाग 2 में अनुप्रयुक्त यदि (10-11-12) भाग ख- कुल आय अधिकतम राशि पर प्रभार्य से अधिक नहीं है। /	1च	
	छ	कुल आय पर कर संदाय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ड - 1च)	1छ	
2	अधिभार			3
	i	अनुसूची घझ का 13 का 25%	2i	
	ii	पर (1छ -अनुसूची धझ का 13)	2ii	
	iii	कुल (i + ii)	2iii	
3	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1छ + 2iii)			3
4	सकल कर दायित्व (1छ + 2iii + 3)			4
5	कर राहत			
	क	धारा 90/90क (अनुसूची कर 2 विवरणी)	5क	
	ख	धारा 91 (अनुसूची कर 3 विवरणी)	5ख	
	ग	कुल (5क+5ख)		5ग
6	शुद्ध कर दायित्व (4-5ग)			6
7	देय फीस और ब्याज			
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	7क	
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	7ख	
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	7ग	
	घ	आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234घ)	7घ	
	ड	संदेय कुल ब्याज और फीस (7क+7ख+7ग + 7घ)		7ड
8	कुल दायित्व (6+7ड)			8

संदत्त कर	9	संदत्त कर				
	क	अग्रिम कर (15क का सूत्र 5)	9क			
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (15ख का सूत्र 9)	9ख			
	ग	स्रोत पर कर का संग्रहण [15ग का सूत्र 7(i)]	9ग			
	घ	स्वतः कर निर्धारण (15क का सूत्र 5)	9घ			
	ड	कुल संदत्त कर (9क+9ख+9ग+9घ)	9ड			
	10	संश्लेष रकम (यदि 8, 9ड से अधिक है तो 12 प्रविष्ट करें अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)				10
	11	प्रतिदाय (यदि 9ड, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)				11
	12	धारा 115नड के अंतर्गत ब्याज सहित 115नघ आय पर देय निवल कर (अनुसूची 115नघ का क्रम संख्या 12)				12
बैंक खाता	13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना किसी बैंक खाते के प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)				हां अथवा नहीं का चयन करें
		क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमेट खातों को छोड़कर)				
		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	डिजिटल रसीद/भुगतान हेतु प्रयोग किए खातों को इंगित करें
		i				उस खाते को इंगित करें जिसमें आप क्रेडिट किए गए अपने प्रतिदाय का पाना पसंद करेंगे(प्रतिदाय के लिए एक खाते को <input checked="" type="checkbox"/> करें)
		ii				
		नोट:				
		1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए।				
		2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।				
		यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं				
		ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:				
	क्रं. सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश की अवस्थिति	आई.बी.ए.एन	
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आहें? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

15	अनुसूची-आयकर				
क	अग्रिम कर और स्वतः-निर्धारण के संदायों के ब्यौरे				
क्रं. सं.	बी.एस.आर कोड	जमा करने की तारीख (तारीख/मास/व-ई)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)	
i					
ii					
iii					
iv					
v					
vi					
टिप्पण	भाग ख-टीटीआई की क्रम सं0 9क और 9घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें ।				

ख स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ के अनुसार]														
क्र.सं०	स्वयं/अन्य व्यक्ति [नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैना/आधार (यदि टीडीएस अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार/पैना/आधार	अशेषित अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तुत की गई तदनुसूची रिसीट/आहरण	अशेषित टीडीएस क्रेडिट						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)	(13)
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अशेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में काटा गया (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में दावा किया गया (यदि लागू हो)	कुल रकम	आय का शीर्ष			
							आय टीडीएस		आय टीडीएस पैना/आधार					
i														

ग स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]											
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैना(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत अदावाकृत टी.सी.एस		चालू वित्त वर्ष का टी.सी.एस		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया	
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रणीत रकम	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा संग्रहित किया (यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)		
(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)	
i									टी.सी.एस पैना		
ii											

टिप्पणी: कृपया भाग ख-टीडीआई के 9ग में स्तंभ (7i) का योग भरें

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसके साथ संलग्न विवरणी और अनुसूचियों, विवरणों आदि में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूरी है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी अपनी की हैसियत में दे रहा/दे रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्यांक है (यदि आबंटित हुआ हो) (कृपया अनुदेश देखें)। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें →

[अधिसूचना सं. 05 /2023/फा.सं. 370142/2/2023-टीपीएल]

प. अमृता वर्षिणी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 91(अ) तारीख 10 फरवरी, 2023 द्वारा किया गया था।